05.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। अधिवक्ता उत्तरदाता उप-। अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को पूर्व में कई अवसर दिये गये बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामिल तकमील हासिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर